सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025/557 दर्ज तिथिः—01.08.2023

प्रार्थी		अप्रार्थी
केसाराम पुत्र सोनाराम वगैरह		सरकार
स्वयं	बनाम	जरिये तहसीलदार नोखड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—131, 136
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956
निर्णय तिथिः—25.08.2025

—:निर्णयः—

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—
   - कि प्रार्थी धनाराम वगैरह की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 278 रकबा 31—03 बीघा मौजा जूनी उन्दरी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है।
   - कि प्रार्थी धनाराम वगैरह की उक्त आराजी में पहुंच हेतु हाजा न्यायालय में आवेदन संख्या 116/12 बउनवान धनाराम बनाम बरजांगाराम वगैरह वास्ते नवीन रास्ता स्वीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2023 को स्वीकार किया गया। जिसकी पालना में खसरा संख्या 302 रकबा 30—919 बीघा में से 01—07 बीघा एवं खसरा संख्या 302/2 रकबा 30—17 बीघा में से 0—13 बीघा भूमि गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त नवीन गै0मु0 रास्ते के खसरा संख्या 302/3 एवं 302/4 अंकित किये गये। जिसको संलग्न परिशिष्ट—अ से प्रदर्शित किया गया है।
   - कि खसरा संख्या 302/4 में मौके पर ढाणियां आई हुई हैं। इस कारण खसरा संख्या 302/4 में से रास्ता निकाला जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
   - कि खसरा संख्या 302/2 के खातेदार जोगाराम पुत्र सोनाराम एवं केसाराम पुत्र सोनाराम द्वारा आपसी सहमति से खसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.25 19:31:06 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 302 / 2 एवं 302 / 1 की सीमा पर रास्ता खोल दिया है। जो प्रार्थी धनाराम के खसरा संख्या 278 तक जा रहा है।

- कि खसरा संख्या 302 / 4 रकबा 0.1052 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता की आराजी का संलग्न परिशिष्ट—ब के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावे। साथ ही निवेदन किया कि खसरा संख्या 302 / 3 गै0मु0 रास्ता का उपयोग खसरा संख्या 302 के मूल खातेदार बरजांगाराम, जगमालराम, सवाराम, राजाराम पिसरान चिमनाराम ही करेंगे। उक्त खसरे के संबंध में सरकारी खाते में जमा राशि पुनः प्रार्थी धनाराम पुत्र तुलछाराम द्वारा प्राप्त की जाकर रास्ते की भूमि को पुनः मूल खसरे में जोड़ने का निवेदन किया गया है।
- अंत में प्रार्थीगण द्वारा सहमति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—ब के अनुसार दुरूस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

2. प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर परिशिष्ट—ब के आधार पर तरमीम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया गया। परिशिष्ट—अ का विवरण इस प्रकार हैः—

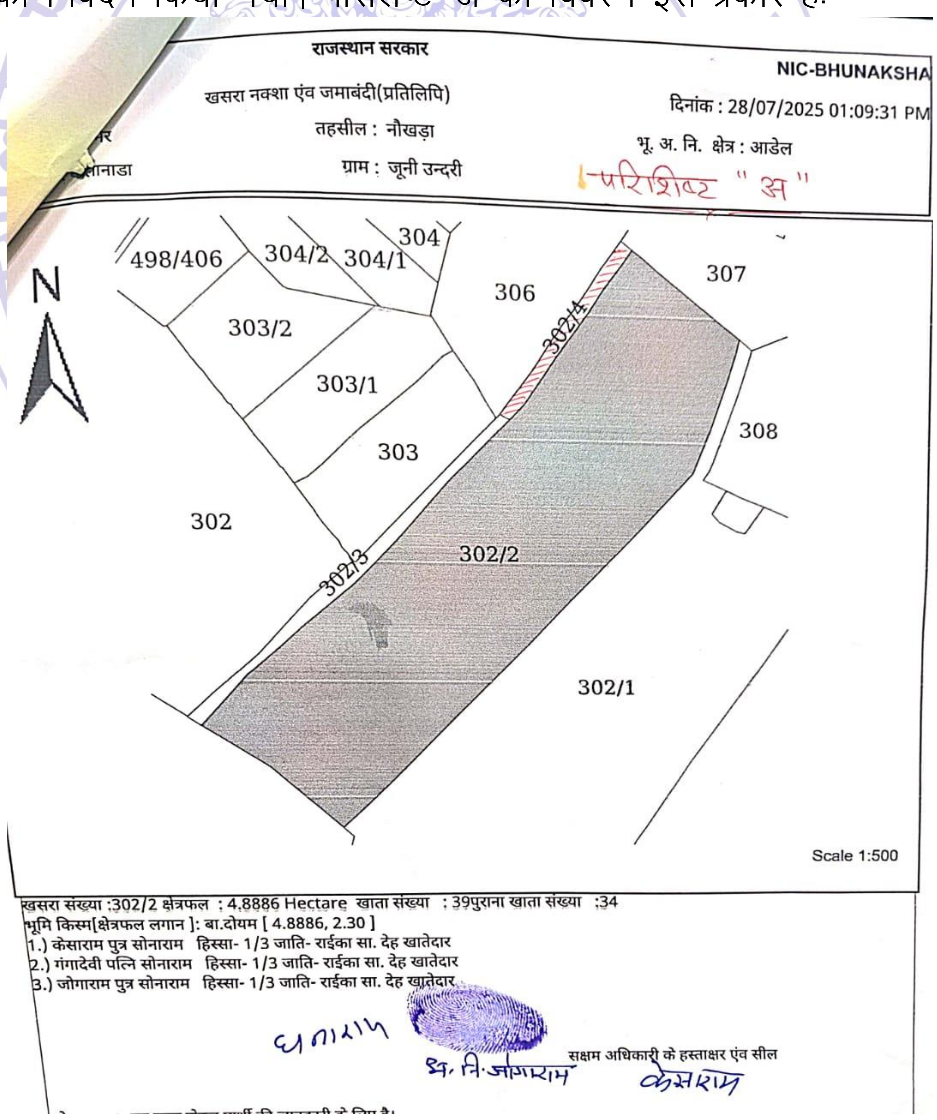

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.25 19:31:06 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा सहमति से प्रस्तुत परिशिष्ट—ब का विवरण इस प्रकार हैः—

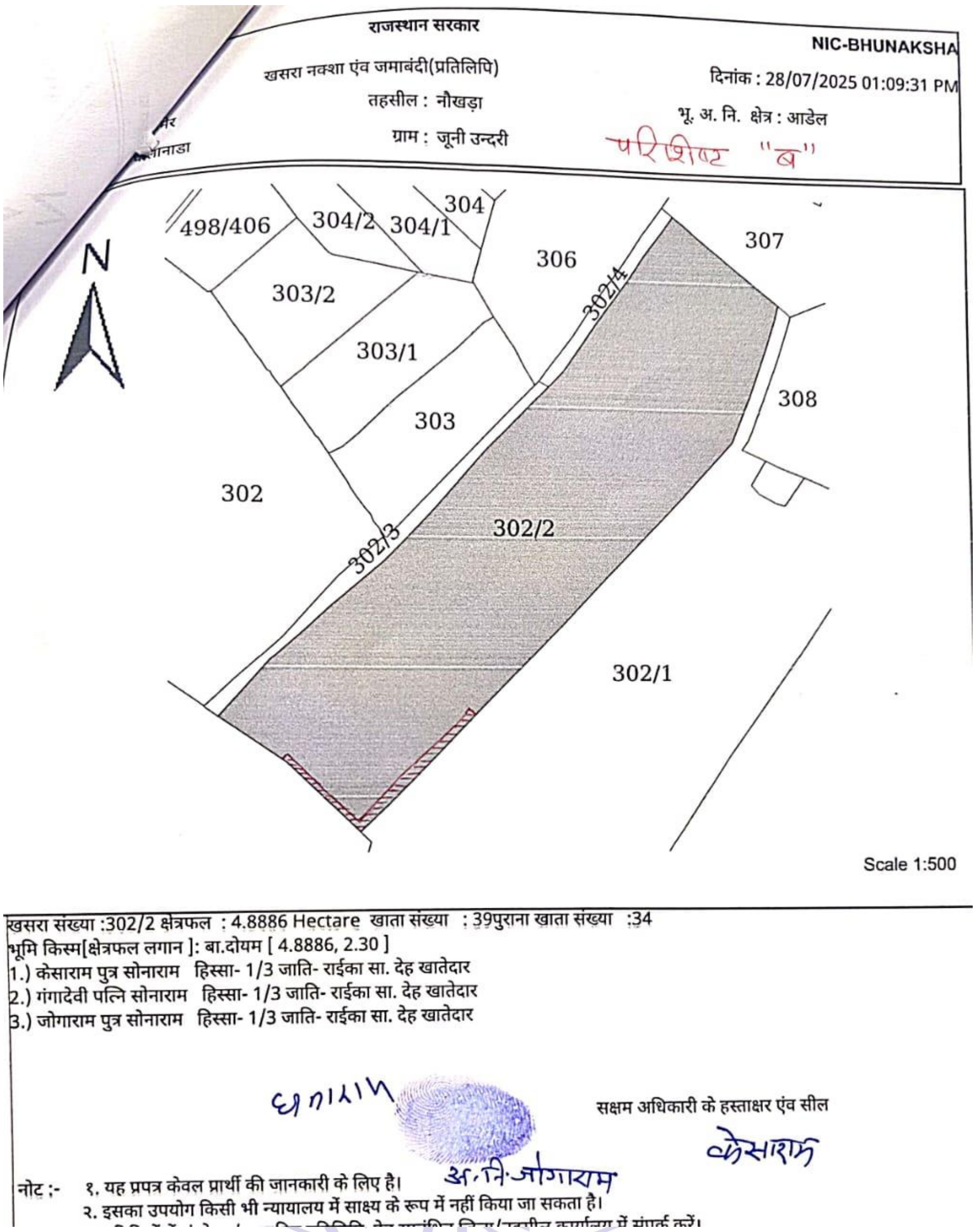

4. प्रकरण में खसरा संख्या 302 / 2 प्रार्थीगणों की खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 302 / 2 में से हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 29.04.2023 के द्वारा आराजी रकबा 0.1052 है0 भूमि गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज की गई थी। उक्त आदेश की पालना में खसरा संख्या 302 / 2 में से नवीन खसरा संख्या 302 / 4 कायम किया गया है। प्रकरण में दिनांक 29.04.2023 के अनुसार की गई तरमीम को मौके के अनुसार परिवर्तित करवाने का निवेदन किया है। चूंकि प्रकरण में खसरा संख्या 302 / 2 से नवीन खसरे 302 / 4 के सभी खातेदार प्रार्थीगण दिनांक 29.04.2023 के अनुसार की गई तरमीम को मौके के अनुसार परिवर्तित करवाने हेतु सहमत हैं। प्रकरण में केवल तरमीम परिवर्तित की जानी है। तरमीम परिवर्तन से प्रभावित होने वाले सभी पक्षकारान सहमत हैं। तरमीम दुरूस्ती के पक्षकारान व राज्य सरकार का रकबा परिवर्तित नहीं हो रहा है। अतः खसरा संख्या 302 / 2 में से कट्टान रास्ते के नवीन खसरे 302 / 4 की तरमीम परिशिष्ट—ब में मौके एवं पक्षकारान सहमति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.25 19:31:06 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होने के कारण उक्त प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का उक्त राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार नोखड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा संख्या 302/2 में से दिनांक 29.04.2023 की पालना पश्चात् कट्टान रास्ते के नवीन खसरे 302/4 की तरमीम बिना रकबा परिवर्तित किये पक्षकारान सहमति द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट—ब एवं मौके के अनुसार दुरूस्त की जावे। साथ ही खसरा संख्या 302/3 गै0मु0 रास्ता की तरमीम निरस्त की जाकर उक्त खसरे का रकबा मूल खसरे के साथ मूल भूमि वर्गीकरण के रूप में मूल स्थिति बहाल करते हुए उक्त खसरे के पेटे जमा की गई राशि पुनः जमाकर्ता को वापिस सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 25.08.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी—बाड़मेर

सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.25 19:31:06 IST
Reason: SelfAttested